राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 407/2024
बन्दना कुमारी

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग,
राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.02.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री रविन्द्र कुमार, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद कम्पाउण्डर के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय, मण्डावा, झुन्झुनू से राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, ब्यावर, अजमेर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण 17 माह की अल्पावधि में किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी विधवा महिला है, जिसका स्थानान्तरण 350 किमी. दूर अन्य जिले में किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी की सास वृद्ध महिला जो बीमार रहती है, उनकी देखभाल के लिये अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले से बाहर किये जाने से अपीलार्थी को काफी कठिनाईयां होगी।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्का पर विचार किया।
4. जहां तक अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को अल्पावधि में स्थानान्तरित किया गया है, तो यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि

अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर दिनांक 07.09.2022 को पदस्थापित हुई थी। ऐसे में अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर समुचित समय तक पदस्थापित रखने के पश्चात उसका स्थानान्तरण किया गया है।

5. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

6. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव** ((1995) 3 एस.सी.सी. 270) के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such ha rdship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

7. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)